न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्रीमान घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 116/2013

सायलान :-

1. सायरीदेवी बेवा लिखमाराम
2. लादूराम पुत्र लिखमाराम

जातियान सीरवी

निवासीगण- देवरिया बेरा(स्तनेर)

तहसील जैतारण जिला पाली राज.

बनाम गैरसायलान :-

1. तहसीलदार जैतारण (भूमि धारक)
2. हल्का पटवारी, देवरिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 30/06/2014

उपस्थितः. 1 श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, सायलान।

-:: निर्णयः- **दिनॉकः 26/05/2015**

वकील मय सायलान ने एक राजस्व प्रार्थना-पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध गैरसायलान इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सायलान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा-देवरिया, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नंबर 784/1 रकबा 0-01 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 785 रकबा 0-03 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता, खसरा नंबर 786 रकबा 22-13 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 787 रकबा 11-19 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 789 रकबा 52-15 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 791 रकबा 26-02 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 792 रकबा 32-06 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 795 रकबा 32-07 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 794 रकबा 44-00 बीघा किस्म चाही सोयम कुल किता-09, कुल रकबा 222-06 बीघा की कृषि भूमि आई हुई हैं। जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि इस वाद-पत्र के साथ संलग्न हैं, जो वाद पत्र का एक भाग माना जावें। उक्त आराजी की कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं। और हिस्से माफिक शांतिपूर्वक इसका उपयोग एवं उपभोग करते आ रहे हैं। और वादीया सायरीदेवी के पति लिखमाराम की मृत्यु दिनांक 24/03/2004 को ही चुकी हैं। जो वादीगण का स्वर्गीय लिखमाराम की जगह जरिये फौतदेगी के राजस्व रेकर्ड में फौतेदगी नामान्तरकरण हल्का पटवारी देवरिया द्वारा अमल दरामद नहीं किया गया। क्योंकि स्वर्गीय लिखमाराम का नाम राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय लिखमाराम की जगह लिछमण दर्ज किया हुआ है जो गलत हैं। यानि हल्का पटवारी देवरिया द्वारा फौतदेगी म्यूटेशन संख्या 307 के जरिये भीका फौत की जगह इसके वारीसान का नाम सम्वत् 2029 से 2032 तक के राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करते वक्त हल्का पटवारी, देवरिया ने लिखमाराम की जगह लिछमण नाम दर्ज कर दिया जो गलत हैं। तथा रोंग एन्ट्री हैं। स्लीप ऑफ पेन की परिभाषा में आता हैं। जो हल्का पटवारी की गलती से गलत नाम दर्ज हुआ। जिससें दुरुस्त किया जाना कानूनी रुप से लाजमी हैं। जिसे दुरुस्त करने का आदेश फरमावें। नकल फोटो स्टेट प्रति, मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं जमाबंदी संवत् 2029 से 2032 तक की प्रमाणित प्रतिवाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो वाद पत्र

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

का एक भाग माना जावें। वादीया सायरी देवी के पति का वास्तविक नाम लिखमाराम है, जो उसके नाम से ही परिचय पत्र,राशन कार्ड, एवं मारवाड ग्रामीण बैंक की डायरी बनी हुई हैं। जिसमें भी लिखमाराम नाम दर्ज हैं। नकल परिचय पत्र,राशन कार्ड मारवाड ग्रामीण बैंक की डायरी की फोटो स्टेट प्रति इस वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो वाद पत्र का एक भाग माना जावें। अभी वादीगण हल्का पटवारी देवरिया के पास अपने नाम से स्वर्गीय लिखमाराम की जगह फौतदेगी म्यूटेशन भरवाने हेतु गये। और वादीया सायरीदेवी अपने स्वर्गीय पति लिखमाराम का मृत्यु प्रमाण-पत्र लेकर गई। और राजस्व रेकर्ड में फौतदेगी म्यूटेशन भरने का कहां तो राजस्व रेकर्ड में लिखमाराम की जगह लिछमण नाम अंकित हैं। को हल्का पटवारी ने वादीगण के नाम से फौतदेगी म्यूटेशन भरने से इन्कार कर दिया। और कहां कि स्वर्गीय लिखमाराम का नाम दुरुस्त करवाने के बाद ही नमान्तरकरण अमल दरामद किया जावेगा। इसलिये वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के विरुद्ध लिछमण की जगह लिखमाराम का नाम दुरुस्त करवाने रेकर्ड हेतु दुरुस्ती का वाद पत्र श्रीमान की सेवामें पेश हैं। प्रतिवादीगण संख्या - एक तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर हैं। जो इसमें आवश्यक पक्षकार हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या एक को पक्षकार बनाया गया। एवं प्रतिवादी संख्या दो हल्का पटवारी देवरिया की गलती से फौतदेगी म्यूटेशन संख्या - 307 के जरिये भीका फौत होने से इसके वारीसान का नाम दर्ज करते वक्त लिखमाराम की जगह लिछमण दर्ज कर दिया। इसलिये इसको पक्षकार बनाया गया हैं। वादीगण का नाम यदि राजस्व रेकर्ड में स्वर्गीय लिखमाराम का नाम लिछमण की जगह दुरुस्त नहीं किया गया। तो वादीगण अपने कानूनी हक हकूको एवं अधिकारों से वंचित रह जायेगें। एवं कृषि आराजी से उपयोग एवं उपभोग एवं सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जायेगें। जिससे वादीगण को आर्थिक हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में संभव नही होगी। प्रथम दृष्टिया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी वादीगण के हक में बखुबी साबित हैं। इसलिये आज ही नोटिस डिस्पेन्सविद किये जाने का आदेश फरमावें। वादीगण को विनाय दावा दिनांक 18/06/2014 को हल्का पटवारी के पास अपना नाम से फौतदेगी म्यूटेशन भरवाने हेतु जाने पर सर्वप्रथम इसकी जानकारी हुई। तब इसी दिनांक को जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर विनाय दावा उत्पन्न हुआ, जो अन्दर मजाद श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध उक्त आराजी की कृषि भूमि की जमाबंदी श्रीमान के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत हैं। इस प्रकार प्रा.पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर उक्त विवादित भूमि में सायलान के नाम की गलत प्रविष्टि लिछमण के गलत इन्द्राज को हटाकर दुरुस्त इन्द्राज लिखमाराम किये जाने की प्रार्थना की है।

राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जी.सा. को जरिए नोटिसेज वास्ते जवाब प्रा.पत्र तलब किया गया। बहस वकील सायलान सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता सायलान ने व्यक्त किया कि चुंकि प्रा.पत्र के संलग्न साक्ष्य बतौर प्रस्तुत दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या RJ21/159/063830 दिनांक 31.03.97, मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनांक 13/04/2004, राशन कार्ड सं0 483 दिनांक 07/10/2001 एवं मारवाड़ ग्रामीण बैंक की पासबुक में भी सायलान के पति व पिता का वास्तविक नाम लिखमाराम दुरुस्त रूप से दर्ज है, जिससे सायलान का प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने तथा लिछमण के स्थान पर लिखमाराम दुरुस्त दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–देवरिया में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जैतारण स्वयं अप्रार्थी राजस्व लोक अदालत में उपस्थित अप्रार्थी ने जाहिर किया कि पत्रावली में प्रस्तुत प्रा. पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात यथा जमाबंदी सम्वत् 2029–2032 एवं पहचान पत्र दिनांक 31/03/1997, मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 13/04/2004, राशन कार्ड एवं मारवाड़ ग्रामीण बैंक की पासबुक का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा.पत्र वकील सायलान पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः सायलान के पति व पिता का उक्त राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज लिछमण त्रुटिपूर्ण होने व दुरुस्त करने का उक्त दस्तावेजाज साक्ष्य पेश किया हैं। जिससे तहसीलदार जैतारण को वास्तविक तथ्यों की बरूवे रेकर्ड व मजमा–ए–आम मौका जांच करके कि आया लिखमाराम एक व्यक्ति सायल ही है तथा वास्तविक नाम लिखमाराम ही है, जरिए शुद्धि–पत्र दुरुस्ती किया जाना उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः सायल का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व आधिनियम,1956 का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता है कि सरहद मौजा–देवरिया, तहसील–जैतारण में स्थित खसरा नंबर 784/1 रकबा 0–01 बीघा किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 785 रकबा 0–03 बीघा किस्म गै.मु.रास्ता, खसरा नंबर 786 रकबा 22–13 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 787 रकबा 11–19 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 789 रकबा 52–15 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 791 रकबा 26–02 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 792 रकबा 32–06 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 795 रकबा 32–07 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा नंबर 794 रकबा 44–00 बीघा किस्म चाही सोयम कुल किता–09, कुल रकबा 222–06 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज सायलान सं0 1 के पति व सायलान सं0 2 के पिता का नाम वास्तविक रूप से फोटो पहचान पत्र संख्या RJ/21/159/063830 दिनांक 31.03.97, मृत्यु प्रमाण–पत्र दिनांक 13/04/2004, राशन कार्ड सं0 483 दिनांक 07/10/2001 एवं मारवाड़ ग्रामीण बैंक की पासबुक के दस्तावेजात अनुसार लिखमाराम एक ही व्यक्ति सायलान सं0 1 के पति व सायलान सं0 2 के पिता ही हैं। अतः वास्तविक नाम लिखमाराम होने से जरिए शुद्धि पत्र दुरुस्त किया जावें। तहसीलदार जैतारण को निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 26.05.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र –देवरिया में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner